[2020] 9 एस.सी.आर. 325

थॉमस लॉरेंस

बनाम

केरल राज्य और अन्य।

(सिविल अपील संख्या - 2535), 29 अक्टूबर, 2020

[न्यायमूर्तिगण नरीमन, नवीन सिन्हा और इंदिरा बनर्जी]

केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि (संरक्षण) अधिनियम, 2008 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष मूल आवेदन दायर - केरल के तिरुवनंतपुरम के टेक्नोपार्क क्षेत्र के अंदर स्थित आर्द्रभूमि और 10 एकड़ तालाब के विनाश का विवाद - जिला अधिकारी तिरुवनंतपुरम को कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया- वर्तमान निष्पादन आवेदन प्रस्तुत किया गया - निरस्त किया गया- अपील में जिलाधिकारी कलेक्टर ने एनजीटी के आदेश के अनुसार एक आदेश पारित किया है इस प्रकार, निष्पादन आवेदन जो कि एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया गया वग निष्फल हो गया - अपीलार्थी-याचिकाकर्ता के लिए कलेक्टर के आदेश को कानून के अनुसार चुनौती देने के लिए रास्ता खुला- आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन नियम, 2010-7.4- पर्यावरण विधि।

मामलों का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने यह अवधारित किया कि-दिये गये उन तथ्यों जिनके आधार पर कलेक्टर ने एन०जी०टी० के दिनांक 19.12.2018 के आदेश के अनुपालन में एक आदेश पारित किया, से यह स्पष्ट होता है कि एनजीटी के समक्ष दाखिल निष्पादन आवेदन निष्फल हो चुका है। याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह कलेक्टर के आदेश दिनांकित 30.04.2019 को कानून के अनुसार चुनौती दे। यदि ऐसी कोई चुनौती आज से 8 सप्ताह के भीतर दी जाती है तो याचिकाकर्ता की चुनौती मात्र विलंब के आधार पर खारिज नहीं की जायेगी। [पैरा 5][329-बी]

एम. के. बालाकृष्णन बनाम भारत संघ (2017) 7 एससीसी

810 (2) संदर्भित

केस कानून संदर्भ

(2017) 7 एससीसी 810 (2) पैरा 2 में संदर्भित

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरणः वर्ष 2020 की सिविल अपील संख्या 2535

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 9 एस.सी.आर.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के 2018 की मूल आवेदन सं०-875 में 2019 के निष्पादन आवेदन सं० 39 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 06.11.2019

श्रीमती अनीता शेनॉय, विकास सिंह, पिनाकी मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सृष्टि अग्निहोत्री, सुश्री मीरा गोपाल, सुश्री संजना ग्रेस थोमस, जिष्णु एम.एल., सुश्री प्रियंका प्रकाश, सुश्री बीना प्रकाश, जी. प्रकाश, सुश्री अनिंदिता रॉय चौधरी, प्रद्युम्न शर्मा, परेश बी. लाल, सुश्री अनन्या घोष, साजिथ. पी. अधिवक्तागण उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति नरीमन द्वारा सुनाया गया।

1. वर्तमान अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण, मुख्य शाखा, नई दिल्ली के एक आदेश दिनांकित 06.11.2019 से उत्पन्न होती है, जिसमें एनजीटी कहता है:

"संजीव एस.जी. अध्यक्ष, पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान परिषद बनाम केरल राज्य के 2019 को मूल आवेदन सं० 71 दिनांकित-14.10.2019 के मद्देनजर, इस मामले में कोई पृथक आदेश आवश्यक नहीं जैसा कि उपरोक्त मामले में ई.जे.ए. अध्ययन के अनुक्रम में उठाया गया मुद्दा चला।

आवेदन का निस्तारण किया जाता है।"

2. अपीलकर्ता/पीआईएल-याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अनीता शेनॉय ने कथन किया कि दिनांक 14.10.2010 का आदेश पूर्णतया मामले के संबंध में बताता है जैसा कि 2019 के मूल आवेदन सं० 71 जो कि एक ड्रैगन स्टोन रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड को दी गई पर्यावरणीय मंजूरी को चुनौती देने के संबंध में था। यह मंजूरी वेलि-अक्कुलम वेटलैंड के 9.75 एकड़ क्षेत्र के संबंध में थी। जिसके विपरीत, 2019 का वर्तमान निष्पादन आवेदन

Digitally signed by Anchal Adhana
Date: 2023.11.04 17:54:22 UTC
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

संख्या 39 है जो कि 2018 के मूल आवेदन संख्या 875 से उत्पन्न होता है, जो वेलि-अक्कुलम आर्द्रभूमि के 19.73 एकड़ से संबंधित उल्लंघन के संबंध में है। इस प्रकार, वर्तमान मामला एनजीटी के एक आदेश दिनांकित 19.12.2018 से स्वंय को संबद्ध करता है, जो इस प्रकार है:

"इस पत्र में आक्षेप, जिन्हें एक आवेदन के रूप में माना गया है, यह है कि केरल के तिरुवनंतपुरम के टेक्नोपार्क क्षेत्र, के अंदर आर्द्रभूमि और 10 एकड़ तालाब का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। त्रिवेन्द्रम के जिला कलेक्टर को इस मामले को देखने दें तथा एक माह के भीतर विधि के अनुसार उचित कार्यवाही करें। थॉमस लॉरेंस बनाम केरल राज्य और अन्य। [न्यायमूर्ति नरीमन]

इस आदेश की प्रति शिकायत पत्र के साथ जिला कलेक्टर त्रिवेन्द्रम को जरिये ई-मेल अनुपालन हेतु प्रेषित हो। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश न्यायालय की डिक्री की भांति बाध्यकारी है तथा इसका अनुपालन राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की शर्तानुसार अभियोजन सहित दाण्डिक कार्यवाही किये जाने योग्य है।

आवेदन का निस्तारण किया जाता है"

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्रामीण अधिकारी अट्टीपुरा और ग्राम अधिकारी अट्टीपुरा सहित स्थानीय प्राधिकारियों की आख्या पर आधारित करते हुए लिखित प्रस्तुति में तर्क दिया कि जिस भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा था वह एक आर्द्रभूमि थी और केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संस्था अधिनियम, 2008 को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्माण अवैध होगा। उन्होंने आगे एम.के. बालकृष्णन बनाम भारतीय संघ (2017) 7 एस.सी.सी 810(2) में रिपोर्टिड आदेश सहित इस न्यायालय के कई आदेशों का यह दर्शाने के लिए हवाला दिया कि आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2010 के नियम 4 के अंतर्गत आर्द्रभूमि के पुनर्ग्रहण पर प्रतिबंध के मद्देनजर वर्तमान मामले में राज्य की कार्यवाही अवैध होगी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आर्द्रभूमि के पुनर्ग्रहण पर प्रतिबंध जैसा कि ऊपर वर्णित किया गया है , के मद्देनजर, कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 30.04.2019 का आदेश "विधि के अनुसार" नहीं होगा जैसा कि एनजीटी के दिनांक 19.12.2018 के आदेश में अपीलार्थी द्वारा दाखिल निष्पादन याचिका को पोषणीय बताते हुए वर्णित किया गया।

3. इस न्यायालय से संपर्क किया गया क्योंकि यह आरोप लगाया गया है कि जिला कलेक्टर ने दिनांक 19.12.2018 के आदेश के अनुसार कार्रवाई नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप एनजीटी के आदेश को अपास्त करना और मामले को नए सिरे से सुनवाई हेतु भेजना आवश्यक है।

4. केरल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास सिंह ने इंगित किया कि दिनांक -30.04.2019 के एक आदेश द्वारा, जिला कलेक्टर ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया है।

"माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली ने आर्द्रभूमि और 10 एकड़ तालाब जो कि तिरुवनंतपुरम के टेक्नोपार्क में भीतर थे के व्यापक विनाश के संबंध में श्री थॉमस लॉरेंस के द्वारा जरिये ई-मेल भेजी गयी शिकायत पत्र के आधार पर एक आवेदन (ओए नंबर 875/2018) दर्ज किया। माननीय अधिकरण ने अपने आदेश दिनांकित 19.12.2018 के द्वारा जिला कलेक्टर को एक माह के भीतर इस मामले को देखने तथा उच्चतम न्याायालय रिपोर्ट [2020] 9 एस.सी.आर. के विधि अनुसार उचित कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया। राजस्व विभाग ने केरल धान भूमि और आर्द्रभूमि संरक्षण संसोधन विधेयक, 2017 की धारा 10 के प्रावधानों के अनुसार तिरुवनंतपुरम टैक्नोपार्क के तृतीय फेज निकास के लिए अट्टीपुरा गांव के तिरुवनंतपुरम तालुक हेतु सर्वे सं० 279 , 280, 281, 282, 290, 291, 292, 295, 296, 297, 353, 355, 358, 359 के 861.2 एकड़ भूमि के पुनर्ग्रहण को जी.ओ. (एम.एस.) सं० 40/2018/रिट दिनांकित 03.02.2018 के द्वारा नियमतः मंजूरी दी। दिनांक 03.02.2018 के जी.ओ. के आधार पर टैक्नोपार्क (तृतीय फेज) के विकास के उद्देश्य हेतु सरकार द्वारा आवश्यक छूट प्रदान की गई जैसा कि केरल संरक्षण धान भूमि और आर्द्रभूमि अधिनियम 2008 के अंतर्गत विचार किया गया था और 2017 के अध्यादेश ने इसे सामान्य उद्देश्य के तहत एक समान माना जैसा कि 2008 के अधिनियम की धारा 2 (XIV) में परिभाषित है। तदानुसार 2017 के अध्यादेश की धारा 10 के अनुसार 861.2 एकड़ भूमि को पुनर्ग्रहीत किया गया। पुनर्ग्रहण के उद्देश्य हेतु छूट प्रदान करते समय जैसा कि पूर्वोक्त है उसकी निर्धारित सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु , जल संरक्षण बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया। उपरोक्त परिस्थिति में 2008 के अधिनियम की धारा 11 तथा 13 के अंतर्गत जिला कलेक्टर के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है।" इसके अतिरिक्त उन्होंने यह इंगित किया कि 2003 की इन भूमियों को भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं द्वारा यह दर्शाते हुए समाहित किया गया था कि वे धान भूमि परिवर्तित धान भूमि या शुष्क भूमि थी न कि आर्द्रभूमि जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अभिकथित है प्रत्यर्थी सं० 7 व 9 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री पिनाकी मिश्रा द्वारा हमे एक मानचित्र दिखाया गया जिससे स्पष्ट होता है कि विवादित साइट से आकुलम झील तीन किमी० की दूरी पर थी। उन्होंने हमें मानचित्र में यह भी दर्शित किया कि टैक्नोपार्क चरण एक की भांति चरण दो पहले ही पूर्ण हो चुका था, टैक्नोपार्क चरण तीन वर्तमान परियोजना थी। उसके अनुसार याचिकाकर्ता ने बस को छोड़ दिया और केरल संस्था धान भूमि और आर्द्रभूमि अधिनियम 2008 की धारा 10 के अधीन अनुमति सहित सभी अनुमतियाँ प्राप्त करने के बाद पहले ही किये जा चुके व्यापक निर्माण के बाद एनजीटी के दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसने आगे एक आर.टी.आई. आवेदन दिनांकित-07.10.2020 के रूख पर निर्भरता रखते हुए तर्क दिया कि केरल राज्य आद्रभूमि प्राधिकरण ने केरल में 40 आर्द्रभूमि को समाहित करते हुए एक

सूची ड्राफ्ट तैयार किया तथा यह कि वर्तमान मामले में सम्मिलित भूमि एक आर्द्रभूमि के रूप में चिन्हीत नहीं की गयी। उसने यह भी इंगित किया कि अपीलार्थी ने एनजीटी के दिनांक 19.12.2008 के आदेश या कलेक्टर के आदेश दिनांकित- 30.04.2019 को चूंकि चुनौती नहीं दी। वर्तमान मामले में दाखिल निष्पादन आवेदन थॉमस लॉरेंस बनाम केरल राज्य एवं अन्य न्यायमूर्ति आर.एफ. नरीमन निष्फल हो जायेंगे तथा एनजीटी ने अपने विवादित आदेश द्वारा इसे उचित रूप से निरस्त किया था।

5. दिये गये तथ्य यह हैं कि कलेक्टर ने एनजीटी के आदेश दिनांकित 19.12.2018 के अनुक्रम में एक आदेश पारित किया है, जिससे स्पष्ट है कि एनजीटी के समक्ष दाखिल निष्पादन आवेदन निष्फल हो चुका है । याचिकाकर्ता के लिए यह खुला है कि वह विधि अनुसार कलेक्टर के आदेश दिनांकित 30.04.2019 को चुनौती दे। यदि ऐसी चुनौती आज से 8 सप्ताह की अवधि के भीतर दी जाती है, तो याचिकाकर्ता की चुनौती मात्र विलम्ब के आधार पर निरस्त नहीं की जाएगा।

दिव्या पांडे मामला निस्तारित किया जाता है।